



पॉश अधिवेशन - मिजवान वेलफेयर सोसायटी



कार्यस्थल पर उत्पीड़न के रूप

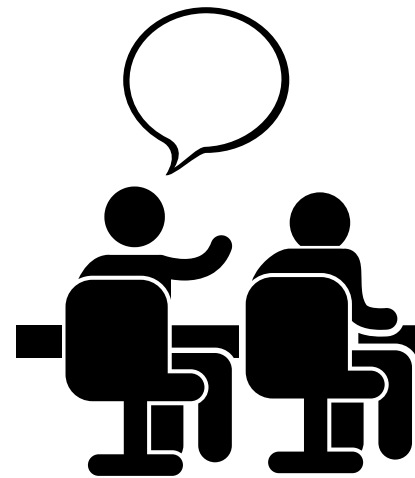


परेशानीया

काम के बहाने देर तक रुकने की जिद

अनचाही बातचीत जिसमें यौन उपकरण हो

सेक्सिस्ट चुटकुले



उत्तेजक टिप्पणियां

किसी की पोशाक या शरीर के प्रकार पर टिप्पणी करना

एक महिला अपने करियर में यौन एहसानों के बदले आगे बढ़ी है।



यौन दुराचार

शारीरिक संपर्क, यौन विचारोत्तेजक हावभाव

सीटी बजाना

अनचाही फ़ोन कॉल और संदेश।



यौन हमला

बलशाली शारीरिक स्पर्श

अनुचित शारीरिक या मौखिक संपर्क।



बलात्कार

बलात्कार की परिभाषा में यौन प्रकृति के किसी भी गैर-अचेतन प्रवेश को शामिल किया जाना चाहिए।

शत्रुतापूर्ण कार्य पर्यावरण



- अधिमान्य उपचार के बदले में अनुचित एहसान।
- काम के प्रदर्शन में बाधा डालने वाले अनचाहे यौन शोषण
- अभद्र टिप्पणी, अनुचित स्पर्श

- अनुचित या सेक्सिस्ट चुटकुलों पर न हंसे।
- अनुचित बयान या मजाक बनाने पर विनम्रता से रोके।
- बातचीत को अन्य विषयों पर बदलें।
- किसी अन्य सहयोगी से बात करें, स्थिति पर सलाह मांगें।
- वरिष्ठ प्रबंधन टीम को सूचित करें।

परिवर्तन का एजेंट कैसे बनें?



भारत में यौन उत्पीड़न से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी सहारा

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक निर्णय ("विशाखा निर्णय")

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और प्रतितोष)
अधिनियम, 2013

क्या कहता है एक्ट?



आंतरिक शिकायत समिति- ICC



स्थानीय शिकायत समिति- LCC

आंतरिक शिकायत समिति



पीठासीन अधिकारी

दो सदस्य महिला अधिकारी

एक बाहरी सदस्य गैर-सरकारी
संगठनों / संघों में से

शिकायत भरना



घटना की तारीख से **तीन महीनों** के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

ICC शिकायत दर्ज करने के लिए अतिरिक्त **तीन महीने** का समय दे सकते हैं

यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी **शारीरिक** या **मानसिक** अक्षमता के कारण शिकायत दर्ज नहीं कर पाता है, तो निम्नलिखित लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं -

- रिश्तेदार या दोस्त
- सहकर्मी
- राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग के लिए एक अधिकारी
- कोई व्यक्ति घटना का ज्ञान है, पीड़ित व्यक्ति की लिखित सहमति से

समझौता

जब ICC को शिकायत मिलती है, तो वे दोनों पक्षों के बीच मामले को निपटाने की कोशिश कर सकते हैं



जांच

अगर मामला 2 सप्ताह में नहीं सुलझता है तो ICC जांच शुरू करेगा।

दोनों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जांच पूरी हो जाएगी।



आईसीसी की सिफारिशें

जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर, आईसीसी अपनी सिफारिशें संस्था के अधिकारी को भेजेगा

सिफारिशें प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर, संस्था कार्रवाई करेगा

संगठन पीड़ित व्यक्ति को मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने पर भी विचार कर सकता है



गोपनीयता

ICC का दायित्व है कि वह पूछताछ के दौरान साझा की गई सभी जानकारियों को गोपनीय रखे

iProbono

